



31/12/2025

अतिरिक्त निदेश
17/12/25

एक मान्य मालिक होने पर खाल अर्जा बिक्री प्रपत्र मागने पर खाल परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री पारस चन्द जैन को उक्त फर्म उपस्थित किया। श्री नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री पारस चन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं निवाड़े जिला टोक पर नमकीन, मसाले, कन्फेक्शरी व अन्य खाल पदार्थ कारोबार करते हुए प्रतिष्ठान सैयर्स जे.के. एजेंसीज लॉट नं० 24 कृषि मण्डली गेट नं० 2 के सामने झिलाई रोड कारोबारकर्ता एवं बिकला की हैसियत से श्री नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री पारस चन्द जैन अपने मण्डली गेट नं० 2 के सामने झिलाई रोड निवाड़े जिला टोक पर पहुंचा। वहां पर खाल दिनांक 03.12.2025 को समय 03:00 पी.एम. पर सैयर्स जे.के. एजेंसीज लॉट नं० 24 कृषि संक्षेप से प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाल सुरक्षा अधिकारी

दिनांक 17/12/25

:-निर्णय:-

2-अप्राथी श्री नरेन्द्र कुमार जैन उ.प।

1-परिकार सरकार।

उपस्थित-

की उ.प. धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52(सहपठित धारा 49)

जुर्म अन्तर्गत खाल सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)

.....अप्राथी

जिला टोक। पिनकोड-304021

2-सैयर्स जे.के. एजेंसीज लॉट नं० 24 कृषि मण्डली गेट नं० 2 के सामने झिलाई रोड निवाड़े

नं० 9214085305

कृषि मण्डली गेट नं० 2 के सामने झिलाई रोड निवाड़े जिला टोक। पिनकोड-304021 मांवाड़ेल

दीनदयाल कालोनी निवाड़े जिला टोक राजा एफ.बी.ओ. सैयर्स जे.के. एजेंसीज लॉट नं० 24

1-श्री नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री पारस चन्द जैन निवासी लॉट नं० 26 शान्ति नगर

बनाम

.....प्राथी

नियंत्रक टोक राजा।

सत्यनारायण गुजर, खाल सुरक्षा अधिकारी टोक कार्यालय जिला खाल सुरक्षा व औषधि

जीसीएमएस नं 49/2026

18/2026 प्र.पत्र/2026 26.02.2026 17.04.2026

सिखल नम्बर तारीख दायरा तारीख निर्णय

आर.ए.एस.

पीठाधीन अधिकारी- रामरतन साँकरिया

न्यायालय न्याय निर्णय आधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोक



श्री नरेंद्र कुमार जैन
 श्री पारस शर्मा
 श्री नरेंद्र कुमार जैन

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकांश ने कायलिय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग में प्रतियाँ नं. 6 की छः प्रतियाँ

जाते में लिया तथा मौके पर फर्टिफाइड तैयार की।

पर आयें। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने विकला एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि प्पर लिपि व रेपर दोनों प्रत्येक भाग को धारा से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर हस्ताक्षर श्रुदा प्पर लिपि नं. आई-4624 नीचे से ऊपर तक गोलार्द्ध में गोंद से विपकाकर 2 खाकी कमाज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह विपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की कयकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह विपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कमांक आई-4624 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विकला व गवाहान के हस्ताक्षर कर, प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह विपकाया एवं प्रत्येक लबलों पर डी.ओ. के कोड एवं नियमानुसार एयर टाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार लिब्ल में 1-1 पॉली थैक प्रत्येक 480 ग्राम थैक में रखकर लिब्लों के ढकन को अच्छी तरह (कैण्ड्रीसामा ग्राउंड) 4 मूल पॉली को अलग-अलग कमाज के गत्ते के चार लिब्लों में प्रत्येक आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकांश ने खरीदश्रुदा पान फलेवर्ड सैन्ट्रिकल्स कैण्ड्रीज

देकर रखी जाते की।

अवस्था में 4 मूल पॉली थैक वास्तु नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विकला को नगद जिसके बैच नं. 0 अर्जपरिगत एवं पैकिंग की दिनांक अर्जपरिगत थी, को ज्यों का त्यों थैक 480-480 ग्राम थैक अवस्था में से पान फलेवर्ड सैन्ट्रिकल्स कैण्ड्रीज (कैण्ड्रीसामा ग्राउंड) कर विकला को यह बताकर कि टुकान की रैक में लगभग 40 पॉली थैक प्रत्येक थैक रख्य हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विकला को वास्तु संचनाथ सुपुर्द श्री नरेंद्र कुमार जैन पुत्र श्री पारस शर्मा बन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने प्राप्त की एवं दो प्रतियाँ में नियमानुसार भरकर एक.बी.ओ. को संचित कर प्रतियाँ में विकला बन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्तु नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री नरेंद्र कुमार जैन पुत्र श्री पारस सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर सैन्ट्रिकल्स कैण्ड्रीज (कैण्ड्रीसामा ग्राउंड) आम जनता के विकय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य में लगभग 40 पॉली थैक प्रत्येक पॉली थैक 480-480 ग्राम पान फलेवर्ड जनता को विकय हेतु टुकान में समकीन, मसाले, कन्फैक्शनरी के साथ-साथ टुकान की रैक आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकांश द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम



कोट
 आतिरिक्त जिगा मजिस्ट्रेट,
 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
 (अतिरिक्त जिगा मजिस्ट्रेट)
 17/12/24



निर्णय आज दिनांक 17/12/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये यागान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शारिर्क जमा नहीं करवाने पर शारिर्क वर्सुली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कोट की भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार नष्ट किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शंमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।